अनुवान:– बाबूलाल उर्फ देशरत्न बनाम सरकार
मुकदमा संख्या:–01 / 81 / 2024

न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी / सहायक कलेक्टर राजगढ जिला–अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 01 / 81 / 2024 ऑन लाईन नम्बर:–2024 / 178 प्रवेश तिथि:–26.11.2024

1. बाबूलाल उर्फ देशरत्न दत्तक पुत्र भौरेलाल जाति महाजन आयु करीब 85 वर्ष निवासी ग्राम नीमला तहसील राजगढ जिला अलवर।

............वादी

बनाम

1. तहसीलदार राजगढ जिला अलवर

..........प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल0आर0एक्ट0 1956
उपस्थित :1. श्री सुरेन्द्र माथुर एड0 प्रार्थी
पैरोकार सरकार तहसीलदार राजगढ–अप्रार्थी

–:निर्णय:–

दिनांक 05 / 02 / 2026

1 आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बावत पेश कर निवेदन किया कि वादी की आराजी खाता संख्या 227 आराजी खसरा नम्बर 311 / 0.07 है0 वाके ग्राम नीमला तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी वादी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम **बाबूलाल उर्फ देशरत्न दत्तक पुत्र भौरे लाल** की जगह सहवन से **बाबूलाल उर्फ देशराज दत्तक पुत्र भौरेलाल** दर्ज कर दिया। जबकि वादी का नाम अन्य रिकार्ड में **बाबूलाल उर्फ देशरत्न दत्तक पुत्र भौरे लाल** दर्ज रिकार्ड है। उक्त गलत इन्द्राज से वादी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर वादी का सही नाम **बाबूलाल उर्फ देशरत्न दत्तक पुत्र भौरे लाल** दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार राजगढ असालतान वकालतान उपस्थित न्यायालय आये और उनके द्वारा जवाब पेश किया जो निम्न प्रकार है–

यह है कि आराजी खाता संख्या 227 आराजी खसरा नम्बर 311 / 0.07 है0 वाके ग्राम नीमला तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। जो बाबूलाल उर्फ देशराज दत्तक पुत्र भौरेलाल के नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक जमाबन्दी साबिक जमाबन्दी 2031 अनुसार खाता संख्या 126 में खसरा संख्या 186 रकबा 6 बिस्वा बाबूलाल उर्फ देशरत्न पिसर मुतबन्ना भौरेलाल महाजन दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी के पिता भौरेलाल की विरासत का नामा0 संख्या 46 दिनांक 28.11.1966 में खाता संख्या 178 में भौरेलाल पुत्र मांगी लाल कोम महाजन सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जिसमें विरासत भौरेलाल से बाबूलाल उर्फ देशरतन के नाम दर्ज रिकार्ड किया गया है। मिशल जमाबन्दी सम्वत 2046–65 मुताबिक खाता संख्या 131 में खसरा

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

संख्या 311/0.07 है0 किस्म उत्तम चाही 0.02, बारानी उत्तम 0.05 है0 बाबूलाल उर्फ देशराज पि0 भौरे लाल महाजन सा0 देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2046 के मुताबिक हाल खसरा नम्बर 311 रकबा 0.07 है0 साबिक खसरा नम्बर 186 रकबा 6 बिस्वा से कायम किया गया है। प्रार्थी के साबिक राजस्व रिकार्ड में नाम बाबूलाल उर्फ देशरतन पि0 भौरेलाल दर्ज रिकार्ड है। किन्तु बन्दोबस्त विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारीगान द्वारा सहवन से बाबूलाल उर्फ देशरतन पि0 भौरेलाल के स्थान पर रिकार्ड में बाबूलाल उर्फ देशराज पि0 भौरेलाल दर्ज कर दिया जो भी गलत है। यदि वादी का नाम दुरूस्ती किया जाकर वादी का वास्तविक नाम बाबूलाल उर्फ देशरतन दत्तक पुत्र भौरेलाल जाति महाजन सा0 देह खातेदारी किया जाता है तो प्रतिवादी पक्षकार को कोई आपत्ति नही है।

3. तनकीयात कायम करके सुनाई गई। तनकीयात के बिन्दु निम्न प्रकार है–

1. आया वादी आराजी खसरा संख्या 311/0.07 है0 वाके ग्राम नीमला तहसील राजगढ जिला अलवर में वादी का नाम बाबूलाल उर्फ देशराज दत्तक पुत्र भौरेलाल जाति महाजन के स्थान पर बाबूलाल उर्फ देशरतन दत्तक पुत्र भौरेलाल जाति महाजन कराने का अधिकारी है।

............वादी

2. अन्य दादरसी

4. बहस वकील वादी की सुनी गई। दौरान–ए–बहस वकील वादी द्वारा अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये उल्लेख किया कि प्रार्थी की आराजी खाता संख्या 227 आराजी खसरा नम्बर 311/0.07 है0 वाके ग्राम नीमला तहसील राजगढ जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी वादी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम **बाबूलाल उर्फ देशरत्न दत्तक पुत्र भौरे लाल** की जगह सहवन से **बाबूलाल उर्फ देशराज दत्तक पुत्र भौरेलाल** दर्ज कर दिया। जबकि वादी का नाम अन्य रिकार्ड में **बाबूलाल उर्फ देशरत्न दत्तक पुत्र भौरे लाल** दर्ज रिकार्ड है। उक्त गलत इन्द्राज से वादी के खातेदारी अधिकार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे है। जिसे न्यायहित में दुरूस्त किया जाना अति आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर वादी का सही नाम **बाबूलाल उर्फ देशरत्न दत्तक पुत्र भौरे लाल** दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया।

5. बहस प्रतिवादी की सुनी गई। प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे में अंकित तथ्यों को मात्र दोहराया और दावा वादी स्वीकार किया जाता है। तो प्रतिवादी को कोई ऐतराज नही है।

6. मैने बहस उभय पक्षकारान व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहन अवलोकन व मनन किया गया। जवाब तहसीलदार राजगढ से भी यह स्पष्ट है कि वादी के नाम को बाबूलाल उर्फ देशराज पुत्र भौरे लाल के स्थान पर बाबूलाल उर्फ देशरतन जाति महाजन एक ही व्यक्ति होना साबित है। तहसीलदारको नाम परिवर्तन से कोई ऐतराज नही है। कि आराजी खाता संख्या 227 आराजी खसरा नम्बर 311/0.07 है0 वाके ग्राम नीमला तहसील राजगढ जिला अलवर में वादी का नाम बाबूलाल उर्फ देशराज दत्तक पुत्र भौरेलाल दर्ज है। उसके स्थान पर बाबूलाल उर्फ देशरतन दत्तक पुत्र भौरेलाल दर्ज किया जाकर दावा वादी डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ जिला-अलवर
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
जिला–अलवर

अनुवान:– बाबूलाल उर्फ देशरत्न बनाम सरकार
मुकदमा संख्या:–01/81/2024

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आराजी खाता संख्या 227 आराजी खसरा नम्बर 311/0.07 है0 वाके ग्राम भीगला तहसील राजगढ जिला अलवर में दावा वादी डिक्री किया जाता है। एवं तहसीलदार राजगढ को आदेश दिये जाते है कि वो उक्त आराजी के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम बाबूलाल उर्फ देशराज दत्तक पुत्र भौरेलाल दर्ज है उसके स्थान पर प्रार्थी का नाम बाबूलाल उर्फ देशरतन दत्तक पुत्र भौरे लाल दुरुस्त किया जावें तथा शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 09/02/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पुर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
राजगढ़, जिला - अलवर (राज.)